न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भावना राघव गूर्जर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 15/2019 **दायरा दिनांक : 24.01.2019**

उनवान

1– नाथू लाल पुत्र श्री धन्ना लाल, जाति धाकड़, निवासी बोहत हाल निवासी अन्ता, तहसील अन्ता, जिला बारां

2– काली बाई पुत्री श्री धन्ना लाल, जाति धाकड़, निवासी बोहत, तहसील मांगरोल, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1– कान्ति बाई पुत्री श्री अमर लाल, जाति धाकड़, निवासी बोहत, तहसील मांगरोल, हाल निवासी अरनेठा, तहसील केशोरायपाटन, जिला बून्दी

2– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

अपील संख्या 88/2019 **दायरा दिनांक : 01.07.2019**

उनवान

1– नाथू लाल पुत्र श्री धन्ना लाल, जाति धाकड़, निवासी बोहत हाल निवासी अन्ता, तहसील अन्ता, जिला बारां

2– काली बाई पुत्री श्री धन्ना लाल, जाति धाकड़, निवासी बोहत, तहसील मांगरोल, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1— कान्ति बाई पुत्री श्री अमर लाल, जाति धाकड़, निवासी बोहत, तहसील मांगरोल, हाल निवासी अरनेठा, तहसील केशोरायपाटन, जिला बून्दी

2— राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित श्री बी एल जैन अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री महेन्द्र कुमार जैन एवं श्री कमलदीप सिंह अभिभाषक

रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 03.03.2020**

ये दोनों अपीले समान पक्षकार एवं समान प्रकृति की होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है ।

ये दोनों अपीले अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल के प्रकरण संख्या — 102/2018 निर्णय व डिक्री दिनांक 14.11.2018 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

दोनों अपीलों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री खिलाफ कानून होने से निरस्तनीय है । अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों, साक्ष्यों एवं दस्तावेजात का कानून के अनुसार विवेचन नहीं किया है । ग्राम बोहत तहसील मांगरोल में कुल 8 किता रकबा 1.64 हेक्टर स्थित है जिसमें मात्र खसरा नम्बर 2843/3265 रकबा 0.20 हेक्टर व खसरा नम्बर 2878/3266 रकबा 0.44 हेक्टर के राजस्व नक्शे का विाद बताकर यह घोषणा का वाद पेश किया जिनके साबिक खसरा नम्बर 1921 रकबा 15 बीघा 5 बिस्वा बताया गया है । सहायक कलेकटर

द्वारा बंटवारा किये जाने पर खसरा नम्बर 1921 रकबा 15 बीघा 5 बिस्वा में से रेस्पोडेंट क्रम 1 का 4 बीघा भूमि दी गई और इस साबिक खसरा नम्बर 1921 के हाल खसरा नम्बर 2843/3265 रकबा 0.20 हेक्टर व खसरा नम्बर 2878/3266 रकबा 0.44 हेक्टर दर्ज किये गये । बंटवारे के फलस्वरूप खसरा नम्बर 2843/3265 रकबा 0.20 हेक्टर व खसरा नम्बर 2878/3266 रकबा 0.44 हेक्टर रेस्पोडेंट क्रम 1 के खाते दर्ज किये गये लेकिर राजस्व नक्शे में इन खसरा नम्बरान का अंकन नहीं किया गया जिससे रेस्पोडेंट क्रम 1 को काश्त करने में दुविधा है । अधीनस्थ न्यायालय ने बिना अपीलांट को सुने उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही करते हुए दावा डिक्री कर दिया । पुराने वाद का वाद संख्या 640/1997 था तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 18.06.98 में पक्षकारों के मध्य राजीनामा हुआ था उसमें भी यह स्पष्ट लिखा है कि कान्ति बाई के हिस्से में खसरा नम्बर 180 रकबा 5 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 506 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 507 रकबा 2 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 1931 रकबा 15 बीघा 5 बिस्वा में से पूर्वी ओर की 4 बीघा आराजी आयी है । फर्द मिलान क्षेत्रफल से खसरा नम्बर 1931 की भूमि का कोई फर्द मिलान बना ही नहीं है । फर्द मिलान क्षेत्रफल खसरा नम्बर 1921 रकबा 15 बीघा 5 बिस्वा का बना है। इस प्रकार राजीनामा दिनांक 26.02.1997 खिलाफ कानून है तथा इससे पक्षकारान पाबन्द नहीं है । वादी रेस्पोडेंट का वाद किसी प्रकार से प्रमाणित नहीं है फिर भी जल्दबाजी कर न्याय की मूल भावनाओं के विपरीत निर्णय पारित कर त्रुटि की है । वादी का वाद कतई प्रमाणित नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आर्डर 9 नियम 7 व 13 भी दिनांक 27.11.2018 को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जिससे अपीलांट न्याय प्राप्ति से वंचित रहे हैं । अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट क्रम 2 प्रतिवादी क्रम 3 था अपील में सहयोग न करने से रेस्पोडेंट क्रम 2 बनाया गया है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 14.11.2018 निरस्त की जावे ।

अपील संख्या 88/2019 के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 23.06.2019 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील संख्या 15/2019 प्राप्त होने पर अपील संख्या 88/2019 सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई । रेस्पोडेंट ने अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय उचित बताया ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अपील संख्या 88/2019 न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है ।

अभिभाषक अपीलांट ने लिखित बहस पेश की एवं अपने पक्ष के समर्थन में आर एल डब्ल्यू 2014 (2) आर जे पेज 1198 की नजीर पेश की जो शामिल पत्रावली की गई । अपीलांट के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आर्डर 41 नियम 27 दस्तावेज के साथ पेश किया गया जिसे न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया ।

न्याय हित में दोनों पक्षों को सुना जाकर एवं अपील में प्रस्तुत दस्तावेजों को रिकार्ड पर लेकर पुनः निर्णय पारित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना हम उचित समझते हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर दोनों अपीले अपील संख्या 15/2019 एवं 88/2019 अपीलांट स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.11.2018 अपास्त किये जाते हैं। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि सभी पक्षकारों को उचित सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान कर विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को

पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 27.04.2020 को उपस्थित होवे ।

निर्णय आज दिनांक 03.03.2020 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भावना राघव गूर्जर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा